

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF REVENUE  
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st of October, 2017

**INCOME-TAX**

S.O.— In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 92D and sub-section (8) of section 286 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

**1. Short title and commencement.**

- (1) These rules may be called the Income-tax (Twenty fourth Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the Principal Rules), in Part II, after rule 10D, the following rules shall be inserted, namely:-

***“Information and documents to be kept and maintained under proviso to sub-section (1) of section 92D and to be furnished in terms of sub-section (4) of section 92D.***

***10DA. (1) Every person, being a constituent entity of an international group shall,-***

***(i) if the consolidated group revenue of the international group, of which such person is a constituent entity, as reflected in the consolidated financial statement of the international group for the accounting year, exceeds five hundred crore rupees; and***

***(ii) the aggregate value of international transactions,-***

***(A) during the accounting year, as per the books of accounts, exceeds fifty crore rupees, or***

***(B) in respect of purchase, sale, transfer, lease or use of intangible property during the accounting year, as per the books of accounts, exceeds ten crore rupees,***  
***keep and maintain the following information and documents of the international group, namely:-***

- (a) a list of all entities of the international group along with their addresses;***
- (b) a chart depicting the legal status of the constituent entity and ownership structure of the entire international group;***

(c) a description of the business of international group during the accounting year including,-

(I) the nature of the business or businesses;

(II) the important drivers of profits of such business or businesses;

(III) a description of the supply chain for the five largest products or services of the international group in terms of revenue and any other products including services amounting to more than five per cent. of consolidated group revenue;

(IV) a list and brief description of important service arrangements made among members of the international group, other than those for research and development services;

(V) a description of the capabilities of the main service providers within the international group;

(VI) details about the transfer pricing policies for allocating service costs and determining prices to be paid for intra-group services;

(VII) a list and description of the major geographical markets for the products and services offered by the international group;

(VIII) a description of the functions performed, assets employed and risks assumed by the constituent entities of the international group that contribute at least ten per cent. of the revenues or assets or profits of such group; and

(IX) a description of the important business restructuring transactions, acquisitions and divestments;

(d) a description of the overall strategy of the international group for the development, ownership and exploitation of intangible property, including location of principal research and development facilities and their management;

(e) a list of all entities of the international group engaged in development and management of intangible property along with their addresses;

(f) a list of all the important intangible property or groups of intangible property owned by the international group along with the names and addresses of the group entities that legally own such intangible property;

(g) a list and brief description of important agreements among members of the international group related to intangible property, including cost contribution arrangements, principal research service agreements and license agreements;

(h) a detailed description of the transfer pricing policies of the international group related to research and development and intangible property;

(i) a description of important transfers of interest in intangible property, if any, among entities of the international group, including the name and address of the selling and buying entities and the compensation paid for such transfers;

(j) a detailed description of the financing arrangements of the international group, including the names and addresses of the top ten unrelated lenders;

(k) a list of group entities that provide central financing functions, including their place of operation and of effective management;

(l) a detailed description of the transfer pricing policies of the international group related to financing arrangements among group entities;

(m) a copy of the annual consolidated financial statement of the international group; and

(n) a list and brief description of the existing unilateral advance pricing agreements and other tax rulings in respect of the international group for allocation of income among countries.

(2) The report of the information referred to in sub-rule (1) shall be in Form No. 3CEAA and it shall be furnished to the Director General of Income-tax (Risk Assessment) on or before the due date for furnishing the return of income as specified in sub-section (1) of section 139:

**Provided that** the information in Form No. 3CEAA for the accounting year 2016-17 may be furnished at any time on or before the 31st day of March, 2018.

(3) Information in,—

(i) Part A of Form No. 3CEAA shall be furnished by every person, being a constituent entity of an international group, whether or not the conditions as provided in sub-rule (1) are satisfied;

(ii) Part B of Form No. 3CEAA shall be furnished by a person, being a constituent entity of an international group, in those cases where the conditions as provided in sub-rule (1) are satisfied.

(4) Where there are more than one constituent entities resident in India of an international group, then the report referred to in sub-rule (2) or information referred to in clause (i) of sub-rule (3), as the case may be, may be furnished by that constituent entity which has been designated by the international group to furnish the said report or information, as the case may be, and the same has been intimated by the designated constituent entity to the Director General of Income-tax (Risk Assessment) in Form 3CEAB.

(5) The intimation referred to in sub-rule (4) shall be made at least thirty days before the due date of filing the report as specified under sub-rule (2).

(6) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall specify the procedure for electronic filing of Form No. 3CEAA and Form No. 3CEAB and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the information furnished under this rule.

(7) The information and documents specified in sub-rule (1) shall be kept and maintained for a period of eight years from the end of the relevant assessment year.

(8) The rate of exchange for the calculation of the value in rupees of the consolidated group revenue in foreign currency shall be the telegraphic transfer buying rate of such currency on the last day of the accounting year.

**Explanation.**— For the purposes of this rule,—

(A) "telegraphic transfer buying rate" shall have the same meaning as assigned in the Explanation to rule 26;

(B) the terms 'accounting year', 'consolidated financial statement' and 'international group' shall have the same meaning as assigned in sub-section (9) of section 286.

### ***Furnishing of Report in respect of an International Group***

**10DB.** (1) For the purposes of sub-section (1) of section 286, every constituent entity resident in India, shall, if its parent entity is not resident in India, intimate the Director General of Income-tax (Risk Assessment) in Form No. 3CEAC, the following, namely:-

- (a) whether it is the alternate reporting entity of the international group; or
- (b) the details of the parent entity or the alternate reporting entity, as the case may be, of the international group and the country or territory of which the said entities are residents.

(2) Every intimation under sub-rule (1) shall be made at least two months prior to the due date for furnishing of report as specified under sub-section (2) of section 286.

(3) Every parent entity or the alternate reporting entity, as the case may be, resident in India, shall, for every reporting accounting year, furnish the report referred to in sub-section (2) of section 286 to the Director General of Income-tax (Risk Assessment) in Form No. 3CEAD.

(4) A constituent entity of an international group, resident in India, other than the entity referred to in sub-rule (3), shall furnish the report referred to in sub-rule (3) within the time specified therein if the provisions of sub-section (4) of section 286 are applicable in its case.

(5) If there are more than one constituent entities resident in India of an international group, other than the entity referred to in sub-rule (3), then the report referred to in sub-rule (4) may be furnished by that entity which has been designated by the international group to furnish the said report and the same has been intimated to the Director General of Income-tax (Risk Assessment) in Form No. 3CEAE.

(6) For the purposes of sub-section (7) of section 286, the total consolidated group revenue of the international group shall be five thousand five hundred crore rupees.

(7) Where the total consolidated group revenue of the international group, as reflected in the consolidated financial statement, is in foreign currency, the rate of exchange for the calculation of the value in rupees of such total consolidated group revenue shall be the telegraphic transfer buying rate of such currency on the last day of the accounting year preceding the accounting year.

(8) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall specify the procedure for electronic filing of Form No. 3CEAC, Form No. 3CEAD and Form No. 3CEAE and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the information furnished under this rule.

*Explanation.* - For the purposes of this rule,-

(A) "telegraphic transfer buying rate" shall have the same meaning as assigned in the Explanation to rule 26;

(B) the terms 'accounting year', 'alternate reporting entity', 'consolidated financial statement', 'international group' and 'reporting accounting year' shall have the same meaning as assigned in sub-section (9) of section 286."

3. In the Principal Rules, in Appendix II, after Form No. 3CEA, the following forms shall be inserted, namely:-

**"FORM NO. 3CEAA**

*[See rule 10DA]*

**MASTER FILE**

**Report to be furnished under sub-section (4) of section 92D of the Income-tax Act, 1961**

**PART – A**

1. Name of the assessee –
2. Address of the assessee –
3. Permanent account number of the assessee –
4. Name of the international group of which the assessee is a constituent entity –
5. Address of the international group of which the assessee is a constituent entity –
6. Accounting Year for which the report is being submitted –
7. Number of constituent entities of the international group operating in India –
8. Name, permanent account number and address of all the constituent entities included in item no. 7-

Serial Number	Name of the constituent entities of the international group	Permanent account number of the constituent entities of the international group	Address of the constituent entities of the international group

**PART – B**

1. List of all entities of the international group along with their addresses –

Serial Number	Name	Address

2. Chart depicting the legal status of the constituent entity and ownership structure of the entire international group–
3. Written description of the business of the international group during the accounting year in accordance with clause (c) of sub-rule (1) of rule 10DA containing the following, namely:-
  - (i) the nature of the business or businesses;
  - (ii) the important drivers of profits of such business or businesses;

(iii) a description of the supply chain for the five largest products or services of the international group in terms of revenue and any other products including services amounting to more than five per cent. of the consolidated group revenue;

(iv) a list and brief description of important service arrangements made among members of the international group, other than those for research and development services;

(v) a description of the capabilities of the main service providers within the international group;

(vi) the transfer pricing policies for allocating service costs and determining prices to be paid for intra-group services;

(vii) a list and description of the major geographical markets for the products and services offered by the international group;

(viii) the functions, assets and risks analysis of the constituent entities of the international group that contribute at least ten per cent. of the revenues or assets or profits of such group; and

(ix) a description of the important business restructuring transactions, acquisitions and divestments.

4. Description of the overall strategy of the international group for the development, ownership and exploitation of intangible property, including location of principal research and development facilities and their management –

5. List of all entities of the international group engaged in development of intangible property and in management of intangible property along with their addresses –

Serial Number	Name of the entity of the international group	Address of the entity of the international group

6. List of all the important intangible property or groups of intangible property owned by the international group along with the names and addresses of the group entities that legally own such intangible property –

Serial Number	Intangible property /group of intangible property	Name of the entity who legally owns the intangible property/group of intangible property	Address of the entity

7. List and brief description of important agreements among members of the international group related to intangible property, including cost contribution arrangements, principal research service agreements and license agreements –

8. Description of the transfer pricing policies of the international group related to research and development and intangible property –

9. Description of important transfers of interest in intangible property, if any, among entities of the international group, including the names and addresses of the selling and buying entities and the compensation paid for such transfers –

10. Detailed description of the financing arrangements of the international group, including the names and addresses of the top ten unrelated lenders –

11. List of group entities that provide central financing functions, including their addresses of operation and of effective management –

12. Detailed description of the transfer pricing policies of the international group related to financing arrangements among group entities –

13. A copy of the annual consolidated financial statement of the international group –

14. A list and brief description of the existing unilateral advance pricing agreements and other tax rulings in respect of the international group for allocation of income among countries –

I ..... son/daughter/wife\* of Shri  
..... hereby declare that I am furnishing the information in my  
capacity as ..... (designation) of ..... (name of  
the assessee) and I am competent to furnish the said information and verify it.

Place: .....

.....  
Signature\*\*

Date: .....

.....  
Address of the declarant

.....  
PAN of the declarant

Note 1: \*Strike off whichever is not applicable.

\*\*This form has to be signed by the person competent to verify the return of income under section 140.

**FORM NO. 3CEAB**

[See rule 10DA]

**Intimation by a designated constituent entity, resident in India, of an international group, for the purposes of sub-section (4) of section 92D of the Income-tax Act, 1961**

1. Name of the designated constituent entity –
2. Address of the designated constituent entity –
3. Permanent account number of the designated constituent entity –
4. Name of the international group –
5. Name of the parent entity of the international group –
6. Address of the parent entity of the international group –
7. The country of residence of the parent entity –
8. Accounting Year for which the report is being submitted –

I, ....., son/daughter/wife\* of Shri ..... hereby declare that I am furnishing the information in my capacity as ..... (designation) of ..... (name of the assessee) and I am competent to furnish the said information and verify it.

Place: .....

.....  
Signature\*\*

Date: .....

.....  
Address of the declarant

.....  
PAN of the declarant

Note: \*Strike off whichever is not applicable.

\*\*This form has to be signed by the person competent to verify the return of income under section 140.

**FORM NO. 3CEAC**

[See rule 10DB]

**Intimation by a constituent entity, resident in India, of an international group, the parent entity of which is not resident in India, for the purposes of sub-section (1) of section 286 of the Income-tax Act, 1961**

1. Name of the constituent entity –
2. Address of the constituent entity –
3. Permanent account number of the constituent entity –
4. Name of the international group –
5. Name of the parent entity of the international group –



6. Address of the parent entity of the international group –
7. The country of residence of the parent entity –
8. Whether the international group has designated an alternate reporting entity in place of the parent entity to furnish the report referred to in sub-section (2) of section 286 – Yes/No
9. If yes, name and address of the alternate reporting entity of the international group –
  - (i) Name of alternate reporting entity
  - (ii) Address
10. The country of residence of the alternate reporting entity –
11. Reportable Accounting Year –

I, ....., son/daughter/wife\* of Shri ..... hereby declare that I am furnishing the information in my capacity as ..... (designation) of ..... (name of the assessee) and I am competent to furnish the said information and verify it.

Place: .....

Date: .....

.....  
Signature\*\*

.....  
Address of the declarant

.....  
PAN of the declarant

Note: \*Strike off whichever is not applicable.

\*\*This form has to be signed by the person competent to verify the return of income under section 140.

**FORM NO. 3CEAD**

*[See rule 10DB]*

**COUNTRY-BY-COUNTRY REPORT**

*Report by a parent entity or an alternate reporting entity or any other constituent entity, resident in India, for the purposes of sub-section (2) or sub-section (4) of section 286 of the Income-tax Act, 1961*

<i>Name of the reporting entity</i>	
<i>PAN of the reporting entity</i>	
<i>Address of the reporting entity</i>	
<i>Whether the reporting entity is the parent entity of the international group</i>	

**PART A: OVERVIEW OF ALLOCATION OF INCOME, TAXES AND BUSINESS ACTIVITIES BY TAX JURISDICTION**

Name of the Multinational Enterprise group: Reportable accounting year: Currency used:										
Tax Jurisdiction	Revenues			Profit(Loss) before Income Tax	Income Tax Paid (on Cash Basis)	Income Tax Accrued – Reportable Accounting Year	Stated Capital	Accumulated Earnings	Number of Employees	Tangible Assets other than Cash and Cash Equivalents
	Unrelated Party	Related Party	Total							


**PART B: LIST OF ALL THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE MULTINATIONAL ENTERPRISES GROUP INCLUDED IN EACH AGGREGATION PER TAX JURISDICTION**

Name of the Multinational Enterprise group: Fiscal year concerned:															
Tax Jurisdiction	Constituent entities Resident in the Tax Jurisdiction	Tax Jurisdiction of Organisation or Incorporation if Different from Tax Jurisdiction of Residence	Main Business Activity (ies)												
			Research and Development	Holding or Managing Intellectual Property	Purchasing or Procurement	Manufacturing or Production	Sales, Marketing or Distribution	Administrative, Management and Support Services	Provision of Services to Unrelated Parties	Internal Group Finance	Regulated Financial Services	Insurance	Holding Shares or other Equity instruments	Dormant	Other
	1.														
	2.														
	3.														
	1.														
	2.														
	3.														

**PART C: ADDITIONAL INFORMATION**

**Name of the Multinational Enterprises group:**  
**Reportable accounting year :**

*Please include any further brief information or explanation that is considered necessary or that would facilitate the understanding of the compulsory information provided in Part A and Part B. (e.g. Source of Data)*

*I ..... son/daughter/wife\* of Shri ..... hereby declare that I am furnishing the information in my capacity as ..... (designation) of ..... (name of the assessee) and I am competent to furnish the said information and verify it.*

*Place: .....*

.....  
*Signature\*\**

*Date: .....*

.....  
*Address of the declarant*

.....  
*PAN of the declarant*

**Note 1:** *\*Strike off whichever is not applicable*

**\*\*This form has to be signed by the person competent to verify the return of income under section 140.**

## **Note 2: Specific instructions**

### **Part A**

1. In the column titled "Tax Jurisdiction", the Reporting multi-national enterprise (MNE) should list all of the tax jurisdictions in which Constituent Entities of the MNE group are resident for tax purposes. A tax jurisdiction is defined as a State as well as a non-State jurisdiction which has fiscal autonomy. A separate line should be included for all Constituent Entities in the MNE group deemed by the Reporting MNE not to be resident in any tax jurisdiction for tax purposes. Where a Constituent Entity is resident in more than one tax jurisdiction, the applicable tax treaty tie breaker should be applied to determine the tax jurisdiction of residence. Where no applicable tax treaty exists, the Constituent Entity should be reported in the tax jurisdiction of the Constituent Entity's place of effective management.

2. In the three columns of the template under the heading "Revenues", the Reporting MNE should report the following information: (i) the sum of revenues of all the Constituent Entities of the MNE group in the relevant tax jurisdiction generated from transactions with associated enterprises; (ii) the sum of revenues of all the Constituent Entities of the MNE group in the relevant tax jurisdiction generated from transactions with independent parties; and (iii) the total of (i) and (ii). Revenues should include revenues from sales of inventory and properties, services, royalties, interest, premiums and any other amounts. Revenues should exclude payments received from other Constituent Entities that are treated as dividends in the payer's tax jurisdiction.

3. Under the column titled "Profit (Loss) before Income Tax", the Reporting MNE should report the sum of the profit (loss) before income tax for all Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction. The profit (loss) before income tax should include all extraordinary income and expense items.

4. Under the column titled "Income Tax Paid (on Cash Basis)", the Reporting MNE should report the total amount of income tax actually paid during the relevant fiscal year by all Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction. Taxes paid should include cash taxes paid by the Constituent Entity to the residence tax jurisdiction and to all other tax jurisdictions. Taxes paid should include withholding taxes paid by other entities (associated enterprises and independent enterprises) with respect to payments to the Constituent Entity. Thus, if company A resident in tax jurisdiction A earns interest in tax jurisdiction B, the tax withheld in tax jurisdiction B should be reported by company A.

5. Under the column titled "Income Tax Accrued – Reportable Accounting Year", the Reporting MNE should report the sum of the accrued tax expense recorded on taxable profits or losses of the year of reporting of all Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction. The tax expense should reflect only operations in the reportable accounting year and should not include deferred taxes or provisions for uncertain tax liabilities.

6. Under the column titled "Stated Capital", the Reporting MNE should report the sum of the stated capital of all Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction. With regard to permanent establishments, the stated capital should be reported by the legal entity of which it is a permanent establishment unless there is a

defined capital requirement in the permanent establishment tax jurisdiction for regulatory purposes.

7. Under the column titled "Accumulated Earnings", the Reporting MNE should report the sum of the total accumulated earnings of all Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction as of the end of the year. With regard to permanent establishments, accumulated earnings should be reported by the legal entity of which it is a permanent establishment.

8. Under the column titled "Number of Employees", the Reporting MNE should report the total number of employees on a full-time equivalent (FTE) basis of all Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction. The number of employees may be reported as of the year-end, on the basis of average employment levels for the year, or on any other basis consistently applied across tax jurisdictions and from year to year. For this purpose, independent contractors participating in the ordinary operating activities of the Constituent Entity may be reported as employees. Reasonable rounding or approximation of the number of employees is permissible, providing that such rounding or approximation does not materially distort the relative distribution of employees across the various tax jurisdictions. Consistent approaches should be applied from year to year and across entities.

9. Under the column titled "Tangible Assets other than Cash and Cash Equivalents", the Reporting MNE should report the sum of the net book values of tangible assets of all Constituent Entities resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction. With regard to permanent establishments, assets should be reported by reference to the tax jurisdiction in which the permanent establishment is situated. Tangible assets for this purpose do not include cash or cash equivalents, intangibles, or financial assets.

#### **Part B**

10. Under the column titled "Constituent Entities Resident in the Tax Jurisdiction", the Reporting MNE should list, on a tax jurisdiction-by-tax jurisdiction basis and by legal entity name, all the Constituent Entities of the MNE group which are resident for tax purposes in the relevant tax jurisdiction. As stated above with regard to permanent establishments, however, the permanent establishment should be listed by reference to the tax jurisdiction in which it is situated. The legal entity of which it is a permanent establishment should be noted (e.g. XYZ Corp – Tax Jurisdiction A PE).

11. Under the column titled "Tax Jurisdiction of Organization or Incorporation if different from Tax Jurisdiction of Residence", the Reporting MNE should report the name of the tax jurisdiction under whose laws the Constituent Entity of the MNE is organised or incorporated if it is different from the tax jurisdiction of residence.

12. Under the column titled "Main Business Activity(-ies)", the Reporting MNE should determine the nature of the main business activity(ies) carried out by the Constituent Entity in the relevant tax jurisdiction, by ticking one or more of the appropriate boxes. In this column, if the Reporting MNE chooses the option 'Other', then it shall be required to specify the nature of the activity of the Constituent Entity in the "Part C: Additional Information" section.

**FORM NO. 3CEAE**

[See rule 10DB]

**Intimation on behalf of the international group for the purposes of the proviso to sub-section (4) of section 286 of the Income-tax Act, 1961**

1. Name of the international group –
2. Name of the parent entity of the international group –
3. Address of the parent entity of the international group
4. Name of the constituent entity designated to furnish the report under sub-section (4) of section 286 of the Income-tax Act, 1961 –
5. Address of the constituent entity designated to furnish the report under sub-section (4) of section 286 of the Income-tax Act, 1961 –
6. Permanent account number of the designated constituent entity –
7. Names, permanent account numbers and addresses of all other constituent entities of the international group resident in India –

Sl. No.	Name of the constituent entity	Permanent account number	Address

I ..... son/daughter/wife\* of Shri ..... hereby declare that I am furnishing the information in my capacity as ..... (designation) of ..... (name of the assessee) and I am competent to furnish the said information and verify it.

Place: .....

.....  
Signature\*\*

Date: .....

.....  
Address of the declarant

.....  
PAN of the declarant

**Note:** \*Strike off whichever is not applicable.

**\*\*This form has to be signed by the person competent to verify the return of income under section 140. "**

[Notification No. 92 /2017/ F. No. 370142/25/2017-TPL]

  
(Niraj Kumar)

**Under Secretary (Tax Policy and Legislation)**

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) vide number S.O. 969 (E) dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and were last amended vide notification number GSR No. 1221(E), dated the 5<sup>th</sup> of October, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 31 अक्तूबर, 2017

आय-कर

का.आ. .... (अ)--केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92घ की उपधारा (1) के परंतुक और धारा 286 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के भाग 2 में, नियम 10घ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“धारा 92घ की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रखी जाने वाली और धारा 92घ की उपधारा (4) के निबंधनों में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना और दस्तावेज।

10घक. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व है,--

(i) यदि अंतर्राष्ट्रीय समूह, जिसका ऐसा व्यक्ति घटक अस्तित्व है, का समेकित समूह राजस्व, जैसा कि लेखांकन वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समेकित वित्तीय विवरणियों में उपदर्शित है, पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक होता है; और

(ii) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों का समग्र मूल्य,--

(अ) लेखांकन वर्ष के दौरान, लेखा बहियों के अनुसार पचास करोड़ रुपए से अधिक होता है, या

(आ) लेखांकन वर्ष के दौरान, लेखा बहियों के अनुसार अमूर्त संपत्ति संपत्ति के क्रय, विक्रय, अंतरण, पट्टा या उपयोग के संबंध में दस करोड़ रुपए से अधिक होता है,

अंतर्राष्ट्रीय समूह की निम्नलिखित सूचना और दस्तावेजों को रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा, अर्थात् :-

(क) अंतर्राष्ट्रीय समूह के सभी निकायों की उनके पते सहित सूची;

(ख) संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों की विधिक प्रास्थिति और स्वामित्व ढांचे को दर्शित करने वाली चार्ट;



(ग) लेखांकन वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समूह के कारबार का विवरण, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है,--

- (I) कारबार या कारबारों की प्रकृति ;
  - (II) ऐसे कारबार या कारबारों से लाभों के महत्वपूर्ण चालक ;
  - (III) राजस्व के निबंधनों में, अंतर्राष्ट्रीय समूह के पांच सर्वाधिक बड़े उत्पादों या सेवाओं का विवरण और अन्य उत्पाद, जिसके अंतर्गत सेवाएं हैं, जो समेकित समूह राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक के बराबर हैं, की पूर्ति श्रृंखला का विवरण ;
  - (IV) अनुसंधान और विकास सेवा से भिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच किए गए महत्वपूर्ण सेवा इंतजामों की सूची और संक्षिप्त विवरण ;
  - (V) अंतर्राष्ट्रीय समूह के भीतर मुख्य सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का विवरण ;
  - (VI) सेवा लागत का आवंटन करने और अंतःसमूह सेवाओं के लिए संदत्त की जाने वाली कीमतों का अवधारण करने के संबंध में अंतरण कीमत नीतियों के ब्यौरे ;
  - (VII) अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा प्रस्ताव किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं के लिए मुख्य भौगोलिक बाजारों की सूची और विवरण ;
  - (VIII) अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक अस्तित्वों, जो समूह के राजस्व या आस्तियों या लाभ में कम से कम दस प्रतिशत का अंशदान कर रहे हैं, द्वारा किए जा रहे कृत्यों, नियोजित आस्तियों और लिए गए जोखिमों का विवरण ;
  - (IX) महत्वपूर्ण कारबार पुनर्गठन संव्यवहारों, अर्जन और अविनिधान का विवरण ;
- (घ) अमूर्त संपत्ति, जिसके अंतर्गत प्रधान अनुसंधान और विकास सुविधाएं तथा उनके प्रबंधन हैं का अवस्थान भी है, के विकास, स्वामित्व और दोहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समग्र रणनीति का विवरण ;
- (ङ) अमूर्त संपत्ति के विकास और प्रबंधन में लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय समूह के सभी निकायों की उनके पते सहित सूची ;
- (च) अंतर्राष्ट्रीय समूह के स्वामित्व में सभी महत्वपूर्ण अमूर्त संपत्ति या अमूर्त संपत्ति समूहों की समूह निकायों, जो विधिमान्य रूप से ऐसे अमूर्त संपत्ति के स्वामी हैं, के नाम और पते सहित सूची ;
- (छ) अमूर्त संपत्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण करारों की सूची और संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत

लागत संवितरण करार, प्रधान अनुसंधान सेवा करार और अनुज्ञप्ति करार हैं;

- (ज) अनुसंधान और विकास तथा अमूर्त संपत्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण कीमत नीतियों का विस्तृत विवरण;
- (झ) अंतर्राष्ट्रीय समूह के निकायों के बीच अमूर्त संपत्ति में महत्वपूर्ण हित के अंतरण का विवरण, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत विक्रय और क्रय करने वाले निकायों का नाम और पता तथा ऐसे अंतरण के लिए संदत्त प्रतिकर है;
- (ञ) अंतर्राष्ट्रीय समूह के वित्तपोषण करारों का संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत शीर्षस्थ देनदार, जो आपस में संबंधित नहीं हैं, के नाम और पते;
- (ट) समूह निकायों की सूची, जो केंद्रीय वित्त पोषण कृत्यों का उपबंध कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उनके प्रचालन और प्रभावी प्रबंधन का स्थान है;
- (ठ) समूह निकायों के बीच वित्तपोषण करारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण कीमत नीतियों का विस्तृत विवरण;
- (ड) अंतर्राष्ट्रीय समूह की वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण की प्रति ; और
- (ढ) देशों के बीच आय के आबंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में विद्यमान एकपक्षीय अग्रिम कीमत करार और अन्य कर विनिर्णय निर्णयन की सूची और संक्षिप्त विवरण ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना की रिपोर्ट प्ररूप संख्या 3गडकक में होगी और इसे धारा 139 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख को या उससे पूर्व आयकर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण) को प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु लेखांकन वर्ष 2016-17 के लिए प्ररूप संख्या 3गडकक में सूचना को 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(3) सूचना,—

- (i) प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व है, प्ररूप संख्या 3गडकक के भाग क में प्रस्तुत की जाएगी;
- (ii) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व है, उन मामलों में, जिनमें उपनियम (1) में विहित शर्तों को पूरा किया जाता है, प्ररूप संख्या 3गडकक के भाग क में प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) जहां किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के भारत में एक से अधिक निवासी घटक अस्तित्व हैं, वहां, यथास्थिति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट या उपनियम (3) के खंड (i) में निर्दिष्ट सूचना किसी घटक अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा, यथास्थिति, उक्त रिपोर्ट या सूचना को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित किया गया है और जिसे पदाभिहित घटक निकाय द्वारा आयकर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण) को प्ररूप संख्या 3गडकक में, रिपोर्ट द्वारा, अधिसूचित किया गया है ।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट अधिसूचना उपनियम (2) के अधीन रिपोर्ट फाइल करने के लिए यथाविनिर्दिष्ट सम्यक् तरीके से कम से कम 30 दिन पूर्व की जाएगी।

(6) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), प्ररूप संख्या 3गडकक और प्ररूप संख्या 3गडकड में इलेक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा तथा वह इस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई सूचना के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनःप्राप्ति नीतियों को बनाने और कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(7) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से आठ वर्ष के लिए रखे और अनुरक्षित किए जाएंगे।

(8) समेकित समूह राजस्व के मूल्य की विदेशी मुद्रा में संगणना की विनिमय दर लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन को ऐसी मुद्रा की ताप अंतरण क्रय दर होगी।

**स्पष्टीकरण**—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “तार अंतरण क्रय दर” का वही अर्थ होगा, जो उसका नियम 26 के स्पष्टीकरण में है;

(ख) ‘लेखांकन वर्ष’, ‘समेकित वित्तीय विवरण’ और ‘अंतर्राष्ट्रीय समूह’ पदों का वही अर्थ होगा जो उनका धारा 286 की उपधारा (9) में है।

**किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना—**

**10घख.** (1) धारा 286 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भारत में निवासी प्रत्येक घटक अस्तित्व, यदि उसका मूल अस्तित्व भारत में निवासी नहीं है, आयकर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण) को प्ररूप संख्या 3गडकख में निम्नलिखित से रिपोर्ट द्वारा अधिसूचित करेगा, अर्थात्:—

(क) क्या वह अंतर्राष्ट्रीय समूह का वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व है; या

(ख) अंतर्राष्ट्रीय समूह के, यथास्थिति, मूल अस्तित्व या वैकल्पिक अस्तित्व के ब्यौरे और वह देश या राज्यक्षेत्र, जहां उक्त अस्तित्व निवासी हैं।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक रिपोर्ट धारा 286 की उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए यथाविनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख से कम से कम दो मास पूर्व की जाएगी।

(3) भारत में निवासी, यथास्थिति, मूल अस्तित्व या वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व प्रत्येक लेखांकन वर्ष के लिए धारा 286 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को प्ररूप संख्या 3गडकग में महानिदेशक आयकर (जोखिम निर्धारण) को प्रस्तुत करेगा।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अस्तित्व से भिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूह का भारत में निवासी अस्तित्व उपनियम (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करेगा यदि उसके मामले में धारा 286 की उपधारा (4) के उपबंध लागू होते हैं।

(5) यदि अंतर्राष्ट्रीय समूह के उपनियम (3) में निर्दिष्ट अस्तित्व से भिन्न एक से अधिक अस्तित्व भारत में निवासी हैं तो उपनियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को उस अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसे उक्त रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह, जिसे आयकर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण) को प्ररूप संख्या 3गडकघ में रिपोर्ट द्वारा अधिसूचित किया गया है, द्वारा पदाभिहित किया गया है।

(6) धारा 286 की उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह का कुल समेकित समूह राजस्व पांच हजार पांच सौ करोड़ रुपए होगा।

(7) जहां अंतर्राष्ट्रीय समूह का समेकित विदेशी विवरणी में यथा दर्शित कुल समेकित समूह राजस्व विदेशी मुद्रा में है, ऐसे कुल समेकित समूह राजस्व के मूल्य की रूपएं में संगणना करने के लिए विनिमय दर लेखांकन वर्ष के पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन को ऐसी मुद्रा की तार अंतरण क्रय दर होगी।

(8) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप संख्या 3गडकख और प्ररूप संख्या 3गडकग और प्ररूप संख्या 3गडकघ में इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा तथा वह इस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई सूचना के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनःप्राप्ति नीतियों को बनाने और कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “तार अंतरण क्रय दर” का वही अर्थ होगा, जो उसका नियम 26 के स्पष्टीकरण में है;

(ख) ‘लेखांकन वर्ष’, रिपोर्ट किए जाने वाला अस्तित्व, ‘समेकित वित्तीय विवरण’, ‘अंतर्राष्ट्रीय समूह’ और ‘रिपोर्ट किया जाने वाला लेखांकन वर्ष’ पदों का वही अर्थ होगा जो उनका धारा 286 की उपधारा (9) में है।”

3. मूल नियम में परिशिष्ट II में प्ररूप संख्या 3गडक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“प्ररूप संख्या 3गडकक

[देखे नियम 10घक]

मास्टर फाइल

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92घ की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

भाग-क

- निर्धारिती का नाम
- निर्धारिती का पता
- निर्धारिती का स्थायी खाता संख्यांक
- अंतर्राष्ट्रीय समूह का नाम, जिसका निर्धारिती घटक अस्तित्व है—
- अंतर्राष्ट्रीय समूह का पता, जिसका निर्धारिती घटक अस्तित्व है—
- लेखांकन वर्ष, जिसके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है
- भारत में प्रचालन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों की संख्या
- मद संख्या 7 में सम्मिलित सभी घटक निकायों का नाम, स्थायी खाता संख्यांक और पता

क्रम सं.	अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों का नाम	अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों का स्थायी खाता संख्यांक	अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों का पता

भाग-ख

- अंतर्राष्ट्रीय समूह के सभी निकायों की उनके पते सहित सूची—

क्रम सं.	नाम	पता

--	--	--

2. संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों की विधिक प्रास्थिति और स्वामित्व ढांचे को दर्शित करते हुए चार्ट
3. नियम 10घक के उपनियम (1) के खंड (ग) के अनुसरण में निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करते हुए लेखांकन वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समूह के कारबार का लिखित विवरण, अर्थात् :-
  - (i) कारबार या कारबारों की प्रकृति ;
  - (ii) ऐसे कारबार या कारबारों के लाभों के महत्वपूर्ण चालक ;
  - (iii) राजस्व के निबंधनों में अंतर्राष्ट्रीय समूह के पांच सबसे बड़े उत्पादों या सेवाओं और किन्हीं अन्य उत्पादों, जिसके अंतर्गत ऐसी सेवाएं हैं, जो समेकित समूह राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक के बराबर हैं, की पूर्ति शृंखला का विवरण ;
  - (iv) अनुसंधान और विकास सेवाओं से भिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच किए गए महत्वपूर्ण सेवा इंतजामों की सूची और संक्षिप्त विवरण ;
  - (v) अंतर्राष्ट्रीय समूह के भीतर मुख्य सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का विवरण ;
  - (vi) सेवा लागतों का आबंटन करने के लिए अंतरण कीमत नीतियां और अंतःसमूह सेवाओं के लिए संदत्त की जाने वाली अवधारण कीमतें ;
  - (vii) अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा प्रस्ताव किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं के लिए मुख्य भौगोलिक बाजारों की सूची और विवरण ;
  - (viii) अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों, जो ऐसे समूह के राजस्व या आस्तियों या लाभ में कम से कम दस प्रतिशत का अंशदान कर रहे हैं, द्वारा किए जा रहे कृत्यों, आस्तियों और जोखिम विवरण ; और
  - (ix) महत्वपूर्ण कारबार पुनर्गठन संव्यवहारों, अर्जन और अविनिधानों का विवरण ;
4. अमूर्त संपत्ति, जिसके अंतर्गत प्रधान अनुसंधान और विकास सुविधाएं तथा उनका प्रबंधन हैं, के विकास, स्वामित्व और दोहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समग्र रणनीति का विवरण ;
5. अमूर्त संपत्ति के विकास और अमूर्त संपत्ति के प्रबंधन में लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय समूह के अस्तित्वों की उनके पते सहित सूची ;

क्रम सं.	अंतर्राष्ट्रीय समूह के अस्तित्व का नाम	अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक अस्तित्व का पता

6. समूह अस्तित्व, जो ऐसे अमूर्त संपत्ति के विधिमान्य स्वामी हैं, के नाम और पते के साथ अंतर्राष्ट्रीय समूह के स्वामित्व में सभी महत्वपूर्ण अमूर्त संपत्ति या अमूर्त संपत्ति के समूह की सूची--

क्रम सं.	अमूर्त संपत्ति/अमूर्त संपत्ति का समूह	उस अस्तित्व का नाम, जो विधिमान्य रूप से अमूर्त संपत्ति/ अमूर्त संपत्ति समूह का स्वामी है	अस्तित्व का पता

7. अमूर्त संपत्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण करारों की सूची और संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत लागत संवितरण करार, प्रधान अनुसंधान सेवा करार और अनुज्ञप्ति करार हैं;
8. अनुसंधान और विकास तथा अमूर्त संपत्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण कीमत नीतियों का विवरण;
9. अंतर्राष्ट्रीय समूह के निकायों के बीच अमूर्त संपत्ति में महत्वपूर्ण हित के अंतरण का विवरण, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत विक्रय और क्रय करने वाले निकायों का नाम और पता तथा ऐसे अंतरण के लिए संदत्त प्रतिकर है;
10. अंतर्राष्ट्रीय समूह के वित्तपोषण करारों का विस्तृत विवरण, जिसके अंतर्गत शीर्षस्थ देनदार, जो आपस में संबंधित नहीं हैं, के नाम और पते;
11. समूह निकायों की सूची, जो केंद्रीय वित्तपोषण कृत्यों का उपबंध कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उनके प्रचालन और प्रभावी प्रबंधन का स्थान है;
12. समूह निकायों के बीच वित्तपोषण करारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण कीमत नीतियों का विस्तृत विवरण;
13. अंतर्राष्ट्रीय समूह की वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण की प्रति; और
14. देशों के बीच आय के आबंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में विद्यमान एकपक्षीय अग्रिम कीमत करार और अन्य कर विनिर्णयों की सूची और संक्षिप्त विवरण—

मैं, ..... श्री ..... का पुत्र/पुत्री/पत्नी घोषणा करता हूँ कि मैं ..... (निर्धारित नाम) ..... की क्षमता (पदनाम) में सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं उक्त सूचना को प्रस्तुत करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान .....

हस्ताक्षर\*\*

तारीख .....

घोषणाकर्ता का पता

घोषणाकर्ता का स्थायी खाता संख्यांक

टिप्पण 1 : 'जो लागू न हो उसे काट दें।

\*\* इस प्ररूप पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं, जो धारा 140 के अधीन आय-कर की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम है।

प्ररूप सं. 3गडकख

[कृपया नियम 10ख देखें]

अंतर्राष्ट्रीय समूह, जिसका मूल अस्तित्व भारत में निवासी नहीं है, के भारत में निवासी घटक अस्तित्व द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 286 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट

1. घटक अस्तित्व का नाम
2. घटक अस्तित्व का पता
3. घटक अस्तित्व का स्थायी खाता संख्यांक
4. अंतर्राष्ट्रीय समूह का नाम
5. अंतर्राष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व का नाम

6. अंतर्राष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व का पता
7. मूल अस्तित्व के निवास का देश
8. क्या अंतर्राष्ट्रीय समूह ने किसी वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को मूल अस्तित्व के स्थान पर धारा 286 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित किया है— हां/नहीं
9. यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय समूह के वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का नाम और पता—
  - (i) वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का नाम
  - (ii) पता

10. वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के निवास का देश
11. रिपोर्ट योग्य लेखांकन वर्ष

मैं, ..... श्री ..... का पुत्र/पुत्री/पत्नी\* घोषणा करता हूं कि मैं ..... (निर्धारिती का नाम) ..... की क्षमता (पदनाम) में सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं उक्त सूचना को प्रस्तुत करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान .....

हस्ताक्षर\*\*

तारीख .....

घोषणाकर्ता का पता

घोषणाकर्ता का स्थायी खाता संख्यांक

टिप्पण 1: \*जो लागू न हो उसे काट दें।

\*\* इस प्ररूप पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं, जो धारा 140 के अधीन आय-कर की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 286 की उपधारा (2) या उ  
किसी अन्य घटक अस्तित्व, द्वारा रिपोर्ट

रिपोर्टकर्ता अस्तित्व का नाम
रिपोर्टकर्ता अस्तित्व का स्थाई लेखा संख्यांक
रिपोर्टकर्ता अस्तित्व का पता
क्या रिपोर्टकर्ता अस्तित्व अंतरराष्ट्रीय समूह का मूल अस्तित्व

कृपया कोई अतिरिक्त संक्षिप्त जानकारी र  
जानकारी के बोध को सुकर बनाएगा।

मैं.....पुत्र/पुत्री/प  
.....(पदाभिधान) की  
स्थान:.....

तारीख : .....

टिप्पण: \*जो लागू न हो, उसे काट दें।

\*\*यह प्ररूप धारा 140 के अधीन आय की वि



भाग ग: अतिरिक्त जानकारी

बहुराष्ट्रीयीय उद्यम समूह का नाम:

रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष

स्पष्टीकरण सम्मिलित करें जिसे आवश्यक समझा जाए या जो भाग क और भाग ख (उदाहरणतः डाटा का स्रोत) में दी गई अनिवार्य

१ श्री ..... यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ..... (निर्धारिती का नाम) के  
नी हैसियत से जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ और मैं उक्त जानकारी प्रस्तुत करने तथा उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ।

.....  
हस्ताक्षर\*\*

.....  
घोषणाकर्ता का पता

.....  
घोषणाकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक

का सत्यापन करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

प्ररूप सं0 3गड.कग  
[नियम 10 घख देखें]  
देश दर देश रिपोर्ट

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 286 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए भारत में निवासी मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व या किसी अन्य घटक अस्तित्व, द्वारा रिपोर्ट

रिपोर्टकर्ता अस्तित्व का नाम	
रिपोर्टकर्ता अस्तित्व का स्थाई लेखा संख्यांक	
रिपोर्टकर्ता अस्तित्व का पता	
क्या रिपोर्टकर्ता अस्तित्व अंतरराष्ट्रीय समूह का मूल अस्तित्व समूह है	

भाग क: कर अधिकारिता द्वारा आय आबंटन, कर तथा कारबार क्रियाकलाप का अवलोकन

बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह का नाम :

रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष :

प्रयोग की गई करेंसी :

[illegible]

भाग ख: प्रत्येक समुच्चयन प्रति कर अधिकारिता में सम्मिलित बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के सभी घटक अस्तित्वों की सूची

बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह का नाम :

संबंधित राज वित्तीय वर्ष :

मुख्य कारवार क्रियाकलाप

[illegible]

भाग ग: अतिरिक्त जानकारी

बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह का नाम:

रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष

कृपया कोई अतिरिक्त संक्षिप्त जानकारी या स्पष्टीकरण सम्मिलित करें जिसे आवश्यक समझा जाए या जो भाग क और भाग ख (उदाहरणतः डाटा का स्रोत) में दी गई अनिवार्य जानकारी के बोध को सुकर बनाएगा।

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि .....(निर्धारिती का नाम) के .....(पदाभिधान) की अपनी हैसियत से जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ और मैं उक्त जानकारी प्रस्तुत करने तथा उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ।  
स्थान:.....

तारीख : .....

हस्ताक्षर

घोषणाकर्ता का पता

घोषणाकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक

टिप्पण: "जो लागू न हो, उसे काट दें।

"यह प्ररूप धारा 140 के अधीन आय की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

## टिप्पण 2- विशिष्ट अनुदेश

### भाग क

1. “कर अधिकारिता” नामक स्तंभ में, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को ऐसी सभी कर अधिकारिताओं को सूचीबद्ध करना चाहिए, जिसमें बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) समूह के घटक अस्तित्व कर प्रयोजनों के लिए निवासी हैं। कर अधिकारिता को एक राज्य और साथ ही एक गैर राज्य अधिकारिता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें राजवित्तीय स्वायत्तता है। कर प्रयोजनों के लिए किसी कर अधिकारिता में निवासी न होने वाले रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) द्वारा समझे गए बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) समूह में सभी घटक अस्तित्वों के लिए एक पृथक् पंक्ति सम्मिलित की जानी चाहिए। जहां घटक अस्तित्व एक से अधिक कर अधिकारिता में निवासी है, वहां लागू कर संधि सहबद्धता भंजक निवास की कर अधिकारिता का अवधारण करने के लिए लागू किया जाना चाहिए। जहां कोई लागू कर संधि विद्यमान नहीं है, वहां घटक अस्तित्व की रिपोर्ट प्रभावी प्रबंध के संघटक अस्तित्व के स्थान की कर अधिकारिता में की जानी चाहिए।
2. “राजस्व” शीर्ष के अधीन टैम्पलेट के तीन स्तंभों में, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम को निम्नलिखित सूचना की रिपोर्ट करनी चाहिए : (i) सहयुक्त उद्यमों के साथ संव्यवहारों से उत्पन्न सुसंगत कर अधिकारिता में बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के सभी घटक अस्तित्वों के राजस्वों की राशि (ii) स्वतंत्र पक्षकारों के साथ संव्यवहारों से उत्पन्न सुसंगत कर अधिकारिता में बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के सभी घटक अस्तित्वों के राजस्वों की राशि ; और (iii) (i) और (ii) का योग। राजस्वों में माल सूची, संपत्तियों, सेवाओं, स्वामिसवों, हित, प्रीमियमों के विक्रय से प्राप्त राजस्व और कोई अन्य रकम सम्मिलित होनी चाहिए। राजस्वों में ऐसे अन्य घटक अस्तित्वों, जिन्हें करदाता के कर अधिकारिता में लाभांशों के रूप में माना जाता है, से प्राप्त संदायों को अपवर्जित किया जाना चाहिए।
3. “आयकर से पहले लाभ (हानि)” नाम स्तंभ के अधीन रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी के लिए आयकर से पूर्व लाभ (हानि) की राशि को रिपोर्ट करना चाहिए। आयकर से पहले लाभ(हानि) में सभी असाधारण आय और व्यय मदों को सम्मिलित करना चाहिए।
4. “संदत्त आयकर (नकद आधार पर)” नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी द्वारा सुसंगत राजवित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से संदत्त आयकर की कुल रकम की रिपोर्ट करनी चाहिए। संदत्त करों में निवास कर अधिकारिता में और सभी अन्य कर अधिकारिताओं में घटक अस्तित्व द्वारा संदत्त नकद करों को शामिल करना चाहिए। संदत्त करों में घटक अस्तित्व को किए गए संदायों के संबंध में अन्य अस्तित्वों (सहयुक्त उद्यम और स्वतंत्र उद्यम) द्वारा कर विधारण सम्मिलित होना चाहिए। इस प्रकार यदि कंपनी क निवासी कर अधिकारिता क में कर अधिकारिता ख में हित उपार्जित करती है, तो कर अधिकारिता ख में विधारित कर की रिपोर्ट कंपनी क द्वारा की जानी चाहिए।
5. “प्रोद्भूत आयकर-रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष” नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी के रिपोर्ट करने के वर्ष के कराधेय लाभों या हानियों पर अभिलिखित प्रोद्भूत कर व्यय की राशि की रिपोर्ट करनी चाहिए। कर व्यय में रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष में केवल संक्रियाओं को उपदर्शित करना चाहिए और अनिश्चित कर दायित्वों के लिए आस्थगित करों या उपबंधों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए।

6. “कथित पूंजी” नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी की कथित पूंजी की राशि की रिपोर्ट करनी चाहिए। स्थायी स्थापनों के संबंध में कथित पूंजी की रिपोर्ट विधिक अस्तित्व द्वारा, जिसका वह स्थायी स्थापन है, रिपोर्ट तब तक नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि विनियामक प्रयोजनों के लिए स्थायी स्थापन कर अधिकारिता में पूंजी अपेक्षा परिभाषित न की जाए।

7. “संचित उपार्जन” नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को वर्ष के अंत में सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी के कुल संचित उपार्जनों की राशि की रिपोर्ट करनी चाहिए। स्थायी स्थापनों के संबंध में, संचित उपार्जनों की उस विधिक अस्तित्व द्वारा रिपोर्ट की जानी चाहिए, जिसका वह स्थायी स्थापन है।

8. “कर्मचारियों की संख्या” नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी के पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई) पर कर्मचारियों की कुल संख्या की रिपोर्ट करनी चाहिए। कर्मचारियों की संख्या वर्ष के लिए औसत रोजगार स्तरों के आधार पर या संगततः अनुप्रयुक्त संपूर्ण कर अधिकारिता के किसी अन्य आधार पर और वर्षानुवर्ष की रिपोर्ट की जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए घटक अस्तित्व की मामूली प्रचालन क्रियाकलापों में भाग लेने वाले स्वतंत्र संविदाकारों की कर्मचारी के रूप में रिपोर्ट की जा सकेगी। कर्मचारियों की संख्या का युक्तियुक्त पूर्णांकन या अनुमान अनुज्ञेय है। परंतु यह तब, जबकि ऐसा पूर्णांकन या अनुमान पूरी विभिन्न कर अधिकारिताओं में कर्मचारियों के सापेक्ष वितरण को तात्त्विक रूप से विरूपित नहीं करता है। संगत दृष्टिकोण वर्षानुवर्ष और पूरे अस्तित्वों में लागू किया जाना चाहिए।

9. “नकद और नकद समतुल्यों से भिन्न मूर्त आस्तियां” नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी की मूर्त आस्तियां का शुद्ध बही मूल्य की राशि की रिपोर्ट करनी चाहिए। स्थायी स्थापनों के संबंध में आस्तियों की उस कर अधिकारिता के संदर्भ द्वारा रिपोर्ट की जानी चाहिए, जिसमें स्थायी स्थापन स्थित है। इस प्रयोजन के लिए मूर्त आस्तियों में नकद या नकद समतुल्य, अमूर्त या वित्तीय आस्तियां सम्मिलित नहीं हैं।

#### भाग ख

10. “कर अधिकारिता में घटक अस्तित्व निवासी” नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को कर अधिकारिता दर कर अधिकारिता आधार पर और विधिक अस्तित्व नाम से उन बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) समूह के सभी घटक अस्तित्व, जो सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी हैं, को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। तथापि स्थायी स्थापनों के संबंध में, जैसा ऊपर कहा गया है, स्थायी स्थापन उस कर अधिकारिता के संदर्भ द्वारा सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जिसमें वह स्थित है। विधिक अस्तित्व, जिसका वह स्थायी स्थापन है, को नोट किया जाना चाहिए (उदाहरणार्थ एक्स वाई जेड कार्प- कर अधिकारिता एपीई)

11. “संगठन या निगमन (इनकार्पोरेशन) की कर अधिकारिता, यदि निवास की कर अधिकारिता से भिन्न हो” नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को उस कर अधिकारिता के नाम की रिपोर्ट करनी चाहिए, जिसकी विधियों के अधीन बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) का घटक अस्तित्व संगठित किया जाता है या निगमित किया जाता है, यदि वह निवास की कर अधिकारिता से भिन्न है।

12. “मुख्य कारबार क्रियाकलाप (क्रियाकलापों)” नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को एक या अधिक समुचित बाक्सों को टिक करके सुसंगत कर अधिकारिता में घटक अस्तित्व द्वारा किए गए मुख्य कारबार क्रियाकलाप (क्रियाकलापों) की प्रकृति का अधिधारण करना चाहिए। इस स्तंभ में, यदि रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) ‘अन्य’ का विकल्प चुनता है तब इससे “भाग ख : अतिरिक्त जानकारी” भाग में घटक अस्तित्व के क्रियाकलाप की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा की जाएगी।

**प्ररूप सं0 3गड.कघ**  
(नियम 10घख देखें)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 286 की उपधारा (4) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय समूह की ओर से रिपोर्ट

1. अंतरराष्ट्रीय समूह का नाम
2. अंतरराष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व का नाम
3. अंतरराष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व का पता
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 286 की उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित घटक अस्तित्व का नाम -
5. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 286 की उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित घटक अस्तित्व का पता -
6. पदाभिहित घटक अस्तित्व का स्थायी लेखा संख्यांक
7. भारत में अंतरराष्ट्रीय समूह निवासी के सभी अन्य घटक अस्तित्वों के नाम, स्थायी लेखा संख्यांक और पते -

क्र.सं.	घटक अस्तित्व का नाम	स्थायी लेखा संख्यांक	पता

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी\* श्री ..... यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि ..... (निर्धारिती का नाम) के ..... (पदाभिधान) की अपनी हैसियत से जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं/रही हूं और मैं उक्त जानकारी प्रस्तुत करने तथा उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान: .....

तारीख: .....

हस्ताक्षर\*\*

घोषणाकर्ता का पता

घोषणाकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक



टिप्पण: \*जो लागू न हो, उसे काट दें।

\*यह प्ररूप धारा 140 के अधीन आय की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

प्ररूप सं0 3गड.कड.  
(नियम 10घक देखें)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92घ की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय समूह के भारत में निवासी पदाभिहित घटक अस्तित्व द्वारा रिपोर्ट

1. पदाभिहित घटक अस्तित्व का नाम
2. पदाभिहित घटक अस्तित्व का पता
3. पदाभिहित घटक अस्तित्व का स्थायी लेखा संख्यांक
4. अंतरराष्ट्रीय समूह का नाम
5. अंतरराष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व का नाम
6. अंतरराष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व का पता
7. मूल अस्तित्व के निवास का देश
8. वह लेखा वर्ष, जिसके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है-

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी\* श्री ..... यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि  
.....(निर्धारिती का नाम) के ..... (पदाभिधान) की अपनी हैसियत से जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं/रही  
हूं और मैं उक्त जानकारी प्रस्तुत करने तथा उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान: .....

तारीख: .....

हस्ताक्षर\*\*

घोषणाकर्ता का पता

घोषणाकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक

टिप्पण: \*जो लागू न हो, उसे काट दें।

\*\*यह प्ररूप धारा 140 के अधीन आय की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।”

(अधिसूचना सं० १२/२०१७/फा० सं० ३७०१४२/२५/२०१७-टीपीएल)

(नीरज कुमार)

अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग २ खंड ३, उपखंड (ii) में का० आ० ९७७९(अ), तारीख २६ मार्च, १९६२ द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उनमें अधिसूचना सा.का.नि.सं० १२२१(अ) तारीख ५ अक्टूबर, २०१७ द्वारा संशोधन किया गया था।